

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

रामकिशोर

बनाम

वीरपाल कौर आदि

31

2023

अन्तर्गत धारा

212 RTA

क्र

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

नम्बर एवं दिनांक  
जो इस आदेश की  
पालना में जारी हुए

6/9/23

प्राची अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्राची अधिवक्ता को व प्राची को सूक-र कर उबार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। प्राची का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA अदम चैरवी, अदम हापरी में खारिज किया जाता है। पुत्रावली निगीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर